झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान- सभा

तृतीय- (मानसून) सत्र

वर्ग- 02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 03 भादपद, 1937 [श0] / 25 अगस्त, 2015 [ई0] को झारखण्ड विधान- सभा के आदेश- पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक- विभागों को संसूचित की गई सां0 सं0		सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
29	अ0सू0- 27	श्री अनन्त कुमार ओझा	पठन-पाठन कार्य प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20.08.2015
30	अ0सू0- 53	श्री नलिन सोरेन	बालू उठाव चालू कराना।	खान एवं भूतत्व	21.08.2015
31	अ0सू0- 20	श्री फूलचन्द मण्डल	बैठक का आयोजन।	खान एवं भूतत्व	18.08.2015
32	अ0सू0- 29	श्री अमित कुमार	महिला प्राचार्य की नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20.08.2015
33	अ0सू0- 33	श्रीमती निर्मला देवी	राजस्व क्षति रोकना।	खान एवं भूतत्व	20.08.2015
34	अ0सू0- 13	श्री राधाकृष्ण किशोर	सीटों की संख्या बढ़ाना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	17.08.2015
35	अ0सू0- 30	श्री अरूप चटर्जी	अधिकारियों पर कार्रवाई।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	20.08.2015
36	अ0सू0- 52	श्री नलिन सोरेन	छात्रावास भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21.08.2015

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
37-	अ0सू0- 40	श्री प्रकाश राम	वन भूमि का पट्टा देना।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	20.08.2015
38-	अ0सू0- 51	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	स्नातकोत्तर की पढ़ाई।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21.08.2015
39-	अ0सू0- 46	श्री जानकी प्र0 यादव	क्रशरों एवं खदानों को चालू कराना।	खान एवं भूतत्व	21.08.2015
40-	अ0सू0- 04	श्री आलमगीर आलम	किचन शेड का निर्माण कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.08.2015
41-	अ0सू0- 26	डॉ0 इरफान अंसारी	बालू घाट की निलामी।	खान एवं भूतत्व	20.08.2015
42-	अ0सू0- 31	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.08.2015
43-	अ0सू0- 01	श्री आलमगीर आलम	महिला महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.08.2015
44-	अ0सू0- 05	श्री प्रदीप यादव	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना एवं दोषियों को दण्डित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.08.2015
45-	अ0सू0- 08	श्री आलोक कुमार चौरसिया	गोरे माईन्स को पुनःचालू कराना।	खान एवं भूतत्व	17.08.2015
46-	अ0सू0- 43	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	वेतन विसंगति को दूर करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21.08.2015
47-	अ0सू0- 07	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	क्षतिपूर्ति करना।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	17.08.2015
48-	अ0सू0- 36	श्री राजकुमार यादव	एन0ओ0सी0 देना।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	20.08.2015
49-	अ0सू0- 14	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	उच्चस्तरीय जॉच।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	18.08.2015
50-	अ0सू0- 19	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	कार्य पूर्ण कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
51-	अ0सू0- 54	श्री विकास कु0 मुण्डा	परियोजना शिक्षकों का नियमितिकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21.08.2015
52-	अ0सू0- 49	श्री दुलू महतो	सहशिक्षा व्यवस्था लागू कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21.08.2015
53-	अ0सू0- 56	श्री राधाकृष्ण किशोर	जँगल लगाने हेतु कार्रवाई।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	21.08.2015
54-	अ0सू0- 37	श्री रघुनन्दन मण्डल	मानदेय वृद्धि एवं सेवा स्थायीकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.08.2015
55-	अ0सू0- 11	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	विद्यालय को +2 में अपग्रेड।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	17.08.2015

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.	05.	06
56	अ0सू0– 32	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	स्टेडियम का निर्माण	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य	20.08.2015
57	अ0सू0– 35	श्री रघुनन्दन मंडल	मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.08.2015
58	अ0सू0– 34	श्री राजकुमार यादव	मुआवजा दिलाना।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	20.08.2015
59	अ0सू0– 21	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	दोषियों पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
60	अ0सू0– 22	श्री बिरंची नारायण	तकनीकी कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	18.08.2015
61	अ0सू0– 41	श्री कुणाल षड़ंगी	रॉयलटी लेना।	खान एवं भूतत्व	20.08.2015
62	अ0सू0– 38	श्री योगेन्द्र प्रसाद	डी0 एफ0 ओ0 पर कार्रवाई।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	20.08.2015
63	अ0सू0– 25	श्री अमित कुमार	भवन की मरम्मति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.08.2015
64	अ0सू0– 18	श्री बादल	शिक्षकों की नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	18.08.2015
65	अ0सू0– 17	श्री फूलचन्द मण्डल	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
66	अ0सू0– 47	श्री दुलू महतो	तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21.08.2015
67	अ0सू0– 50	श्री शिवशंकर उराँव	पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21.08.2015
68	अ0सू0– 48	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	अनापत्ति प्रमाण पत्र देना।	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	21.08.2015
69	अ0सू0– 06	श्री रामकुमार पाहन	पर्यटक स्थल को विकसित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य	13.08.2015
70	अ0सू0– 39	श्री ताला मराण्डी	भवन का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.08.2015
71	अ0सू0– 42	श्री कुणाल षड़ंगी	प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स	20.08.2015
72	अ0सू0– 10	श्री अशोक कुमार	मदरसा में अध्यक्ष मनोनित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.08.2015
73	अ0सू0– 45	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	अनापत्ति प्रमाण–पत्र देना।	वन एवं पर्यावरण एवं एवं जलवायु	21.08.2015

(क्र0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
74– 3.ए.	अ0सू0– 09	श्री अशोक कुमार	जमीन दान दाता को सदस्य मनोनीत करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.08.2015
75– 3.ए.	अ0सू0– 28	श्री अरूप चटर्जी	विश्व विद्यालय की स्थापना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20.08.2015
76– 3.ए.	अ0सू0– 02	श्री रामकुमार पाहन	राईस मिल पर कार्रवाई	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	13.08.2015
77– 3.ए.	अ0सू0– 16	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	मानदेय बढ़ाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
78– 3.ए.	अ0सू0– 23	श्री बिरंची नारायण	पत्थरों का उत्खनन् कार्य बढ़ाना	खान एवं भूतत्व	18.08.2015
79– 3.ए.	अ0सू0– 24	श्री बिदेश सिंह	भवन का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.08.2015
80– 3.ए.	अ0सू0– 44	श्री मनीष जायसवाल	बालू घाटों का आवंटन	खान एवं भूतत्व	21.08.2015
81–	अ0सू0– 12	श्री प्रदीप यादव	लाईसेंस रद्द करना	उद्योग [खान एवं भूतत्व]	17.08.2015
82– 3.ए.	अ0सू0– 55	श्री दीपक बिरूवा	विधि सम्मत कार्रवाई	खान एवं भूतत्व	21.08.2015
83– 3.ए.	अ0सू0– 03	श्री जगरनाथ महतो	उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमित करना	उच्च एवंतकनीकी शिक्षा	13.08.2015
84– 3.ए.	अ0सू0– 15	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय भवन का निर्माण	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ।	18.08.2015

राँची,
दिनांक– 25 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– प्रश्न–04/2015–2460/वि0स0, रांची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2015
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– प्रश्न–04/2015– 2460 /वि0स0, रांची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय /प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2015

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक– प्रश्न–04/2015– 2460 /वि0स0, रांची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2015

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

24.08.15

सुभाष

(29)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–27

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय, साहेबगंज में महिला महाविद्यालय वर्षों से स्थापित है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई महिला महाविद्यालय स्थापित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि आज तक उक्त महाविद्यालय में पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ नहीं हो पायी है, जिससे छात्राओं को कठिनाईयाँ हो रही है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महिला महाविद्यालय में पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	शैक्षणिक सत्र 2015–16 से साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज में छात्राओं के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2–94/2015 1661 / राँची दिनांक– 24.8.2015

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2347 दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(39)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–53

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड अंतर्गत बालू घाट की नीलामी हो गयी है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि बालू घाट के नीलामी के बाद भी बालू का उठाव बंद है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है पुलिस द्वारा बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है;	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना बालू उठाव नही किया जा सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू घाट से रशीद काट कर बालू उठाव चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों?	वस्तु स्थिति यह है कि अद्यतन नियमों के अनुसार बालूघाट बन्दोबस्तधारी को बालू घाटों का पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही बालू घाटों के बालू उठाव की अनुमति दी जानी है। रानेश्वर अंचल के तीनों पंचायतो के बालू घाटों का अनुमोदित माईनिंग प्लान पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु SEIAA का उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से पत्थरा पंचायत के बालू घाट की पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, जिसे आवश्यक प्रकिया पूरी कर शीघ्र चालू कर दिया जाएगा।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–42 / 15 1266 /एम0, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 250 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2387 वि0स0 दिनांक 21.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(31)

श्री फूलचंद मण्डल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) का राज्य स्तरीय समिति के बैठक गत दो वर्षों से नही हुई है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में लघु उद्योग केन्द्रों का विस्तारीकरण प्रभावित हुआ है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है JSMDC का स्थापना राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था तथा वर्ष में दो बार राज्य स्तरीय समिति के बैठक आहूत कर इसमें विभिन्न जिलों से आये आवेदनों का निष्पादन होता है परंतु समिति की बैठक वर्ष 13–14 एवं 14–15 में नियमित रूप से नही हुई है;	JSMDC की स्थापना मुख्यतः खनन पट्टा लेकर खनिज एवं कोयला का उत्खनन एवं विक्रय करने के उद्देश्य से किया गया है। निगम झारखण्ड सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में लघु एवं मध्यम चयनित इकाई को नई कोयला वितरण नीति 2007 के अन्तर्गत कोयला वितरण का कार्य भी करता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार राज्य में लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए JSMDC के राज्य स्तरीय समिति के बैठक का आयोजन सुचारू ढंग से कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यों?	JSMDC के राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 को अपराह्न 4.00 बजे आहूत की गई है।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि०स०(अ०सू०)–38 / 15 1265 / एम०, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 250 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं० प्र० 2212 वि०स० दिनांक 18.08.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(32)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 25.08.2015 को श्री अमित कुमार, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० –अ०सू०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राजकीय महिला पॉलिटेकनिक, राँची में महिला प्राचार्य नही है,	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पॉलिटेकनिक के प्रभारी प्राचार्य पर महिला कर्मियों को प्रताड़ित करने का आरोप है,	2. आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संस्था में महिला प्राचार्य नियुक्त करने के साथ ही आरोपित प्राचार्य पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	3. प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। जहाँ तक प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई का प्रश्न है उसके संबंध में पत्रांक 2089 दिनांक 21.08.2015 द्वारा विभाग स्तर पर जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.त०शि०/वि०स०–44/15 – 2.10 3 / राँची, दिनांक– 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2344 दिनांक 20.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/2015

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(33)

श्रीमति निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–33

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत मगध प्रोजेक्ट (सी0सी0एल0) में फायरक्ले (अग्नि मिट्टी) का 5 फीट कर के कई लेयर मिला है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उस फायरक्ले को सी0सी0एल0 उसे ओभरबर्डन में फेंकने का कार्य कर रही है;	परियोजना पदाधिकारी, आम्रपाली परियोजना द्वारा यह सूचित किया गया है कि आज की तिथि तक कोयले के जितने सीम का उत्खनन किया गया है उसके दौरान फायरक्ले का निक्षेप नही पाया गया है। उनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ओवर बर्डन निकालकर केवल कोयले का निष्कासन किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि सी0सी0एल0 को खनन विभाग सिर्फ कोयला निकालने का लीज दिया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	क्या यह बात सही है कि फायरक्ले फेंकने से सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है;	परियोजना पदाधिकारी आम्रपाली परियोजना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अबतक के उत्खनन में फायरक्ले का निक्षेप दृष्टिगोचर नही हुआ है और इस प्रकार सरकार को राजस्व की क्षति का दृष्टांत सामने नही आया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उस फायरक्ले के लेयर को अलग कर फायरब्रिक्स के प्लान्ट को बेच कर राजस्व की क्षति को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	भारत सरकार द्वारा फायरक्ले को वृहत खनिज से लघु खनिज की श्रेणी में रखा गया है। तद्नुसार झारखण्ड सरकार द्वारा लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन की प्रकिया की जा रही है। आम्रपाली परियोजना में फायरक्ले का निक्षेप सुनिश्चित होने के उपरांत जिला स्तर पर इसकी नीलामी की जा सकेगी।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–45 / 15 1254 /एम0, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2331 वि0स0 दिनांक 20.08.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(34)

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–13

क्या माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत राजकीयकृत (+)2 उच्च विद्यालय छतरपुर के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में प्रति संकाय नामांकन हेतु मात्र 128 सीट ही निर्धारित किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित विद्यालय के संकायों में सीटों की संख्या कम होने के कारण सैकड़ों मेधावी छात्र (+)2 की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजकीयकृत (+)2 उच्च विद्यालय छतरपुर के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के सीटों की संख्या में वृद्धि करना चाहती है ;	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 2559 दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रश्नाधीन +2 उच्च विद्यालय छतरपुर, पलामू के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के सीटों में दुगनी करते हुए नामांकन हेतु निम्नवत् संख्या निर्धारित कर दी गयी है :– 1. विज्ञान – 256 2. वाणिज्य– 256 3. कला – 256

23/08/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–109/2015 2741 दिनांक 23 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/08/15
सरकार के उप सचिव।

(35)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–30 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अवस्थित कोलियरियाँ, वासरियाँ, हाई कोक प्लांट्स, सौंपट कोक एवं ब्रिकेट प्लांट्स, सिरामिक्स, स्टोन क्रसर्स, स्टोन माइंस, थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेन्ट प्लांट्स, लौह उद्योग (आयरन इंगोट्स+रोलिंग मिल्स), ईट भट्ठे अन्य उद्योग एवं चिकित्सा संस्थान सहित कुल 940 इकाईयों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र तो निर्गत है परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण इन इकाईयों को विगत एक वर्ष से सहमति आदेश प्राप्त नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक । (क) धनबाद जिला अवस्थित कोलियरियाँ, वासरियाँ, हार्ड कोक प्लांट्स सौंपट कोक एवं ब्रिकेट प्लांट्स,सिरामिक्स, स्टोन क्रशर, स्टोन माईंस, थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेन्ट प्लांट्स, लौह उद्योग (आयरन इंगोट्स + रोलिंग मिल्स), ईट भटठे अन्य उद्योगो को निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को विरूद्ध इस वर्ष कुल 529 इकाईयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति आदेश निर्गत किया जा चुका है। (ख) 201 मामलो में पूर्व से दो/तीन वर्षो के लिए सहमति आदेश निर्गत किये जाने के फलस्वरूप इस वर्ष सहमति आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नही है। (ग) 160 इकाईयों जिनके द्वारा पूर्व प्रदत्त सहमति आदेश/अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है उन्हें कारण–पृच्छा निर्गत किया गया है । कारण–पृच्छा प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । (घ) कुल 50 मामलों में NOC के अनुरोध को अहर्ता पूरी नही करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त इकाईयों का सहमति आदेश देने के साथ इससे सम्बन्धित दोषी अधिकारियों पर समुचित कार्रवाई का विचार रखती है,, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त के आलोक में कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–60/2015–4570 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2334 दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(36)

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०-52
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अन्तर्गत प्रखण्ड काठीकुण्ड स्थित राज्य संपोषित उच्च विद्यालय का छात्रावास जर्जर एवं ढह गया है, जो रहने लायक नही है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है काठीकुण्ड प्रखण्ड अंतर्गत आर्दश मध्य विद्यालय, काठीकुण्ड का खपरैल छात्रावास भी ध्वस्त हो गया है, जो रहने लायक नही है ;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक 263 दिनांक 22.08.2015 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार एक पुराना छोटा सा खपड़े का क्षतिग्रस्त कमरा आदर्श मध्य विद्यालय, काठीकुण्ड के हाते में अवस्थित है। इस कमरे में तत्काल एक भी छात्र नहीं रहते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों छात्रावास के भवन ध्वस्त होने के कारण दुर-दराज के छात्रों को छात्रावास नहीं रहने के कारण काफी परेशानी होती है ;	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, काठीकुण्ड के छात्रावास ध्वस्त होने के कारण तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् छात्रों को उच्च विद्यालय के भवन के 3 कमरों में आवासन की व्यवस्था की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों छात्रावास का भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, दुमका को विभागीय पत्रांक 2725 दिनांक 22.08.2015 द्वारा निदेशित किया गया है कि वे जिला में उपलब्ध किसी योजना से इस छात्रावास का निर्माण नियमानुसार कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–126/2015.....2732...../ दिनांक.....23-08-2015.....

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(99)

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–46

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गत माह जुलाई, 2015 तक में, हजारीबाग जिले के सभी पत्थर क्शरों को एवं खदानों को जिला प्रशासन के सहयोग से खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा वन विभाग के द्वारा बन्द कर सील कर दिया गया है, जिसके कारण हजारों–हजार परिवारों की जीविका भी बन्द हो गई है और वे भूखमरी की कगार पर आ गये है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची के आदेश के आलोक में माह जुलाई 2015 तक हजारीबाग जिले के कुल 321 अवैध रूप से संचालित पत्थर क्शरों एवं खदानों को सील बंद कर उनके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थिति इस जिले को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नही किए जाने के कारण उत्पन्न हुई है, यदि हॉ तो क्या सरकार नियमों में संशोधन करते हुए हजारीबाग जिले को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सभी क्शरों एवं खदानों को शीघ्र चालू कराना चाहती है हॉ तो कब तक नही तो क्यों?	औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विषय इस विभाग से संबंधित नही है।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–46/15 1263 /एम0, रॉची दिनांक 24.8.15
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को 250 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2386 वि0स0 दिनांक 21.08.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(40)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-04

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कुल 41 हजार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में से 17 हजार मध्य विद्यालय में "मिड-डे मील" की समुचित व्यवस्था हेतु "किचन शेड" नहीं है, जिसके कारण बच्चों के भोजन के विषाक्त होने की आशंका बनी रहती है;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। कुल 8454 विद्यालयों में किचन शेड नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार "मिड-डे मील" की व्यवस्था बेहतर करने के लिए सभी विद्यालयों में "किचन शेड" निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत 2015-16 में पूर्व में स्वीकृत 3500 किचन शेड की राशि विमुक्त करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। राशि प्राप्त होने के उपरांत किचन शेड का निर्माण कराया जा सकेगा।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-12/अ०सू०-2/15- 1989 राँची, दिनांक- 24.08. 2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2032, दिनांक 13.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(41)

डा0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–26

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री:–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 27.04. 2015 को जामताड़ा मे बालू घाट की नीलामी की गई थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नीलामी में भारी अनियमितताएँ एवं राज्य सरकार की राजस्व की क्षति उजागर हुई थी;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त नीलामी में उपायुक्त ने जाँच के क्रम में भारी गड़बड़ी पाई थी और साथ ही विभाग ने भी इसपर रोक लगाई थी;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः बालू घाट की नीलामी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जामताड़ा में बालू घाट की नीलामी में किसी प्रकार की अनियमितता नही पायी गई है। अतः बालू घाटों की पुनः नीलामी करना उचित नही होगा।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–46 / 15 1253 /एम0, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2332 वि0स0 दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(52)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-31
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान-सभा में राजकीयकृत सीता उच्च विद्यालय हरिहरगंज, बालिका उच्च विद्यालय हरिहरगंज, +2 बालिका उच्च विद्यालय हुसैनाबाद, +2 उच्च विद्यालय हैदरनगर, उच्च विद्यालय मोहम्मदगंज तथा हार्वे उच्च विद्यालय देवरी, हुसैनाबाद में स्वीकृत पद के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों में स्वीकृत पद के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन करना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	+2 विद्यालयों के रिक्त पदों की अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। 2. सभी कोटि के माध्यमिक विद्यालयों के लिये संयुक्त रूप में नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली के गठन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इस नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली के प्रख्यापन के साथ ही प्रश्नाधीन माध्यमिक विद्यालयों के भी सभी रिक्त पदों की अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी तथा उससे प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नाधीन रिक्त पदों को भी भरा जायेगा।

23/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-127/2015....2737..../ दिनांक 23.08.2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(43)

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, गोड्डा, दुमका, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू एवं गुमला जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर एवं दुमका जिला में अंगीभूत महिला महाविद्यालय तथा गोड्डा, साहेबगंज एवं गढ़वा जिला में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महिला महाविद्यालय है। गुमला, कोडरमा, साहेबगंज, चतरा एवं पाकुड़ जिला मुख्यालय में छात्राओं के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई हेतु सत्र 2015–16 से अंगीभूत महाविद्यालय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का निदेश दिया गया है। इन जिलों में महिला महाविद्यालय स्थापित करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए साहेबगंज, पाकुड़, खरसावां एवं बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने हेतु वित्तीय व र्ष 2014–2015 में 04 (चार) करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय व र्ष 2012–13 में साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला–खरसांवा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला में महिला महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय,चाईबासा को 2–2 करोड़ रूपये विमुक्त की गयी है। बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने हेतु राशि की स्वीकृति नहीं दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित जिलों में चालू वित्तीय वर्ष में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपरोक्त कंडिका–1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2–90/2015–1657/ राँची दिनांक– 24.8.2015/

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2035 दिनांक–13.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(44)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रदीप यादव, स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-05

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रति वर्ष वर्ग-1 से वर्ग-8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के 4 महीने बीत जाने के बावजूद अबतक छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पायी है जिस कारण छात्रों का पठन-पाठन पूरी तरह बाधित है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की गई है जिसमें प्रत्येक कक्षा की पाठ्य-पुस्तकें सुरक्षित रखी जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में अकादमिक सत्र शुरू होने के साथ ही बच्चों को विद्यालय के बुक बैंक से पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई थी। शैक्षणिक सत्र 2015-16 की नई पाठ्य-पुस्तकें मई, 2015 से विद्यालयों में आपूर्ति के उपरांत बच्चों से बुक बैंक की पाठ्य-पुस्तकें वापस लेकर नई पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ग-1 से वर्ग-8 तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराते हुए दोषी व्यक्तियों/पदाधिकारियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खंड 2 में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर) 24/08
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/अ0सू0-07/15 - 1990 राँची, दिनांक- 24.08.2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2031, दिनांक 13.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/08
सरकार के उप सचिव।

(45)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–08

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है पलामू जिला में चैनपुर प्रखंड, ग्राम–सेमरा में गोरे माईन्स कई वर्षों से बन्द पड़ा है तथा इसमें कार्य करने वाले स्थानीय मजदूर बेरोजगार/बेकार हो गए है, भुखमरी के कगार पर आ गए हैं तथा पलायन कर रहे हैं;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। पलामू जिलान्तर्गत ग्राम–गोरे स्थित 67.25 एकड़ क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन पट्टा B.C.C.L द्वारा धारित था। B.C.C.L द्वारा उक्त खनन पट्टा को प्रत्यार्पित करने के फलस्वरूप यह क्षेत्र बिहार गजट दिनांक 29.04.1992 में प्रकाशित है। वर्त्तमान में बन्दोबस्ती हेतु रिक्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सेमरा पंचायत स्थित गोरे माईन्स चालू हो जाने से आस–पास के पंचायत सालतूवा बवंडी, नवाडीह एवं पंचायत के बेरोजगार लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा एवं पलायन पर रोक लगेगा;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेमरा पंचायत स्थित गोरे माईन्स को पुनः चालू कर वहाँ के बेरोजगार को रोजगार देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015, के प्रावधानानुसार वर्तमान में खनन पट्टा की स्वीकृति नीलामी द्वारा दी जानी है। नीलामी प्रकिया के पश्चात ही इस क्षेत्र में माईन्स को चालू करना संभव हो सकेगा।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–35/15 1256/एम0, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2100 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

46

2746
23-08-2015

श्री स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूि प्रश्न संख्या -अ०सू०-43

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्यभर में वर्ष 1981-82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों/कर्मियों के वेत्तनादि भुगतान में एकरूपता नहीं है ;	उत्तर आंशिक रूप स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 405 दिनांक 19.07.1986 द्वारा 1981-82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालय के शिक्षकों को 01.04.1986 की तिथि से वेतनादि के भुगतान हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है। 01.04.1986 से पूर्व उन्हें वृतिका पर मानदेय का भुगतान किया जाता था। इसके विरुद्ध कुछ शिक्षकों के द्वारा 01.01.1982 अथवा उनकी नियुक्ति तिथि, जो बाद में हो, के आधार पर वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई तथा न्यायादेश के आलोक में ऐसे शिक्षकों को 01.01.1982 अथवा उनकी नियुक्ति तिथि, जो बाद में है, के आधार पर वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक-167 दिनांक 29.12.2004 के कंडिका-3 में 01.01.1986 से शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा निरस्त करते हुए 01.01.82/नियुक्त तिथि से करने का आदेश पारित है ;	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त पारित आदेश का लाभ सिर्फ न्यायालय का शरण लेनेवाले शिक्षकों/कर्मियों को ही दिया जाता है, जिससे बचे अन्य सेवानिवृत्त एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस बावत विभागीय आदेश पारित कर विसंगति को दूर करने	1981-82 चरण के परियोजना विद्यालयों के सभी शिक्षकों को 01.01.1982 अथवा उनकी नियुक्ति तिथि, जो

	का ईरादा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ;	बाद में हो, से निर्धारित वेतनमान् न. वेतन भुगतान की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रगति पर है।

23/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–124/2015 2746 / दिनांक 23-08-2015

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(47)

श्री रविन्द्रनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष हाथियों के उत्पात से कितने व्यक्ति की जान गयी है? तथा आंशिक रूप से घायल हुए है एवं किसानों के फसल तथा घर में रखा हुआ अनाज तथा मकान नष्ट कर दिया है;	वर्ष 2015 में जामताड़ा जिलान्तर्गत नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंगली हाथी के उत्पात से अभी तक एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। कुल 4 व्यक्तियों को जंगली हाथियों द्वारा घायल किया गया है। जंगली हाथियों के उत्पात से चार कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए है । दो व्यक्तियों का भण्डारित अनाज नष्ट हुआ है। फसल की बर्बादी नहीं हुई है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ही हाथियों के उत्पात से होने वाले व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा उपरोक्त सभी मामलों तथा गत वर्ष के लंबित मामलों में कुल 518363.00 (पाँच लाख अठारह हजार तीन सौ तिरसठ) रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न –50/2015– 4572 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2101 दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(48)

श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद विभाग द्वारा गिरिडीह जिलान्तर्गत क्रेशर एवं माईन्स को बन्द कर दिया गया है, जिससे हजारों मजदूर भूखमरी के शिकार हो रहे हैं,	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि समय पर झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा N.O.C. निर्गत नहीं किया जाता है;	पर्षद द्वारा निर्धारित एन0ओ0सी0 गाईड लाईन के आलोक में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि जिन्होंने वैधानिक प्रक्रिया पूरा किया है, उन्हें भी N.O.C. के लिए परेशान किया जाता है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैधानिक प्रक्रिया पूरा करने वालों को N.O.C. देने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पर्षद द्वारा वैधानिक प्रक्रिया पूरा कर एन0ओ0सी0 गाईड लाईन्स के अनुसार एन0ओ0सी0 निर्गत किया जा रहा है। गिरीडीह जिला में कुल 110 NOC निर्गत किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–82/2015–4577 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2337 दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(497)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–14 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात् से लेकर अबतक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग दस लाख पेड़ों की कटाई हो चुकी है, जिसमें वित्तीय वर्ष–2002 से अबतक 45.91 करोड़ पौधे 268948.063 हेक्टेयर भूमि पर लगाने के पश्चात् 1050 करोड़ रूपये राशि खर्च हो चुकी है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य गठन से लेकर अबतक 9,15,397 पेड़ों की कटाई की गई है । वित्तीय वर्ष 2002 से अबतक लगभग 47.32 करोड़ पौधे 3.67 लाख हे0 भूमि पर लगाये गये हैं, जिस पर 1050.22 करोड़ रू0 की राशि व्यय की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित राशि अबतक खर्च होने के बावजूद पूरे राज्य की जनता को अबतक पर्यावरण संकट के साथ–साथ जलवायु संकट से निजात नहीं मिल सकी है,	भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा निर्गत आँकड़ो के अनुसार झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् वनों के क्षेत्रफल में 496 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (Jharkhand State Action Plan on Climate Change) भी तैयार की है, जिसका वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने सशर्त अनुमोदन भी किया है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण पौधारोपण कार्य किसी भी जिले में सही ढंग से न कर रूपये की बंदरबांट कर ली गई है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित व जनहित में राज्य में अबतक किये गये पौधा रोपण कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–51/2015– 4579 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2207 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(50)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न
संख्या–अ0सू0–19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के स्कूलों में ए0सी0आर0, चाहरदिवारी, शौचालय आदि निर्माण के 270 योजनाएँ लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गढ़वा जिले में 162 ए0सी0आर0, 17 विद्यालयों में चाहरदिवारी एवं 73 विद्यालयों में शौचालय निर्माण अर्थात कुल 252 योजनाएँ लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं के लिए वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में पूर्ण राशि की निकासी भी की जा चुकी है, जबकि उपरोक्त योजना आज भी अपूर्ण है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुल 27 योजनाओं के राशि की निकासी संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा कर कार्य नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में लंबित योजनाओं की राशि निकासी कर कार्य नहीं कराने वाले शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य पूर्ण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दोषी शिक्षक का वेतन/मानदेय का भुगतान रोक दिया गया है एवं ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कार्रवाई की गई है।

24/08
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–11/वि.स.–13/15– 1993 राँची, दिनांक– 24.08. 2015

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2197, दिनांक 18.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08
सरकार के उप सचिव।

(51)

श्री विकास कुमार मुंडा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-54
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों के नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान का मामला राज्य बनने के समय से लंबित है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के संबंध में उत्पन्न विवाद के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-2626/2001 तथा सिविल अपील संख्या-6676-6681/2001 में दिनांक 03.01.2006 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- "The Chief Secretary of the State of Bihar is, therefore, requested to constitute a committee comprising two officers and one Educationist of the repute and/or a retired Judicial officer. In the event a Judicial officers is appointed as a member of the committee, he should be chairman thereof. Remuneration of Judicial officer and/or Educationist shall be determined by mutual agreement. The Chief Secretary is hereby requested to place at the disposal of the committee the requisite staff, which may be required by the committee, for amongst the staff of one or the other department of the State." माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1514 दिनांक-20.07.2006 द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सैय्यद मोमीन आलम, (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा झारखंड के क्षेत्राधीन आनेवाली 1984-85 चरण के परियोजना विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता की गहन जाँच की गयी। समिति द्वारा दिनांक-30.09.2007 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड राज्य में अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त कार्यरत 48 शिक्षक/ 35 लिपिक एवं

		67 आदेशपाल की सेवा मान्यता मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-05.07.2011 को दी गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना विद्यालय के अन्य छूटे हुए मामलों की नियमानुसार विधिक जाँच कर इन्हें मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ उपस्थापित किया जाय। मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसे आलग समिति तथा चुघ समिति की अनुशंसाओ की समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। इस समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् के समक्ष विधिसम्मत् प्रस्ताव उपस्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों के नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान लंबित होने से इनका भविष्य अधर में लटक गया है ;	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित करने एवं लंबित वेतन भुगतान वर्ष-2015 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।

25/08/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-120/2015 2733 दिनांक 23-08-2015.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/08/15

सरकार के उप सचिव।

52

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-49

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कतरास स्थित जी०एन०एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र की सबसे पुरातन विद्यालय है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं की सह शिक्षा की व्यवस्था थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में विगत लगभग 20 वर्षों से छात्राओं का नामांकन बंद कर दिया गया है जिससे आस-पास की छात्राओं को काफी दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन विद्यालय के कक्षा-11 में 29 तथा कक्षा-12 में 44 छात्रायें नामांकित होकर अध्ययनरत् हैं। 2. माध्यमिक कक्षाओं में छात्रायें नामांकित नहीं हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जी०एन०एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुनः सह शिक्षा व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निदेशित किया है कि प्रश्नाधीन विद्यालय की माध्यमिक कक्षाओं में भी छात्राओं को नामांकन हेतु प्रोत्साहित किये जाय तथा जो छात्रायें नामांकन लेना चाहती हैं, उनका नामांकन अविलम्ब लिया जाय। 2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 2724 दिनांक 22.08.2015 द्वारा उपायुक्त, धनबाद को निदेशित किया गया है कि वे विषयांकित मामले में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए जी०एन०एम० +2 विद्यालय की माध्यमिक कक्षाओं में भी नामांकन हेतु छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाय तथा जो छात्रायें नामांकन चाहती हैं, उनका नामांकन कराया जाय। साथ ही उपायुक्त से यह भी प्रतिवेदित करने को कहा गया है कि किन कारणों से माध्यमिक कक्षाओं में छात्राओं का नामांकन बंद किया गया है।

22/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-121/2015 2734 / दिनांक 23-08-2015.

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/08

सरकार के उप सचिव।

(53)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–56 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, कि स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण के लिए राज्य के कुल क्षेत्रफल के विरूद्ध 33% भू–भाग में सघन जंगल का होना आवश्यक है;	आंशिक स्वीकारात्मक । राष्ट्रीय वन नीति में कुल भूमि के एक तिहाई हिस्से को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है ।
2. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में जंगलों की अवैध कटाई तथा वृहद संरक्षण के अभाव में मात्र 8% भू–भाग में ही सघन जंगल बचे हुए हैं;	अस्वीकारात्मक। भारतीय वन सर्वेक्षण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 के प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में भू–भाग के 29.77% अंश पर जंगल एवं Tree Cover अवस्थित है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि जंगलों को बचाने के लिए तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भू–भाग में जंगल लगाने के लिए कौन–सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा वनों के संरक्षण एवं वनरोपण हेतु राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–63/2015–4578 व0प0, राँची, दिनांक–24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2383 दिनांक–21.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(54)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री रघुनन्दन मण्डल, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–37

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० जो वर्ष 2005 से लगातार शैक्षणिक कार्यो में कार्यरत है,	वस्तुस्थित यह राज्य के बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० वर्ष 2005–06 से विद्यालयों में अनुश्रवण, बच्चों का मूल्यांकन, प्रशिक्षण आदि का कार्य करते रहें है। इनके द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन का कार्य किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्यरत बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० के प्रशिक्षण, मानदेय वृद्धि एवं सेवा स्थायीकरण की मांग कर्मियों द्वारा वर्षो से की जा रही है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विभाग के अन्तर्गत कार्यरत परियोजना कर्मी जो बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० के बाद से कार्यरत है का वित्तीय वर्ष 2015 तक 120 प्रतिशत मानदेय का वृद्धि कर दिया गया है,	वैसे परियोजना कर्मी जिनके पद राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा स्वीकृत है उनके परिलब्धि में राज्य कार्यकारणी समिति के निर्णय के उपरांत वृद्धि की जाती है। बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० का पद राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। इनकी सेवा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2005–06 से दैनिक मानदेय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति के उपरांत कार्यक्रम शीर्ष से ली जा रही है। वर्ष 2011–12 से उनके मानदेय का मासिक भुगतान किया जा रहा है।
4.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित कर परियोजना द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है,	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० यदि को प्रशिक्षित कर मानदेय वृद्धि एवं सेवा स्थायीकरण अन्य परियोजना कर्मियों की तरह करने	बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० के प्रशिक्षण हेतु National Institute of Open Schooling (NIOS) से पत्राचार किया गया है। (NIOS) द्वारा सूचित किया गया है कि उपर्युक्त बिन्दु पर भारत

	का विचार रखती है, हॉं तो कब तक नहीं तो क्यों	सरकार से अनुमति प्राप्त की जाय। तत्संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अंतर्गत संचालित सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकृत पदों के विरुद्ध लघुकालीन संविदा पर प्रबंधन शीर्ष से भुगतान किया जाता है। जबकि बी0आर0पी0 एवं सी0आर0पी0 का भुगतान बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 मद में स्वीकृत राशि से किया जाता है। इनकी सेवा स्थायीकरण करने का प्रावधान परियोजना में नहीं है।

24/08

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 13/प्र-4-18/15-...../ 1995 रॉंची, दिनांक 24.08.2015

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2342, दिनांक 20.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव

55

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ0सू0-11

क्या माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ जिला अन्तर्गत नवसृजित फतेहपुर प्रखण्ड में "संथाल पहाड़िया उच्च विद्यालय फतेहपुर" को +2 में अपग्रेड नहीं होने से लगभग 35-14 कि0मी0 दूरी तय करके छात्रों को अध्ययन करना पड़ता है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन जामताड़ा जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड में राजकीयकृत उच्च विद्यालय, फतेहपुर है। इसके अतिरिक्त संथाल अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, कैराबनी, फतेहपुर प्रखंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह विद्यालय गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कोटि का विद्यालय है।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार नवसृजित प्रखण्ड अन्तर्गत "संथाल पहाड़िया उच्च विद्यालय, फतेहपुर" को +2 में अपग्रेड कर पढ़ाई चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् फतेहपुर में ही अवस्थित विभागीय राजकीयकृत उच्च विद्यालय, फतेहपुर को +2 विद्यालय में उत्क्रमण करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

23/08/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-110/2015....2745..../ दिनांक....23....अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08/15

सरकार के उप सचिव।

(36)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 25.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित सं० अ०सू० –32 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय सदस्य विधानसभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान–सभा क्षेत्र के हैदरनगर उच्च विद्यालय मोहम्मदगंज उच्च विद्यालय तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय सबानों में बच्चों को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर स्टेडियम के अभाव में बच्चों में पर्याप्त खेलकूद का विकास नहीं हो पा रहा है?	आंशिक स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	वर्णित स्थानों पर स्टेडियम निर्माण की सम्भाव्यता, उपयोगिता का आकलन कर सरकार निर्णय लेने पर विचार करेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08–37/15/क 646 / राँची, दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 2328 दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/15
सरकार के उप सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(57)

श्री रघुनन्दन मंडल, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-35
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के ग्राम घाट कुसमनी मध्य विद्यालय वर्ष 1964 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जहां पर अभी 600 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि घाट कुसमनी के आस-पास के 10 कि०मी० के परिधि में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि घाट कुसमनी के आस-पास के छात्राएं बाल विवाह के अन्तर्गत अध्ययनरत् हैं ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	क्या यह बात सही है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार घाट कुसमनी की छात्राएं गांव में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं एवं मजबूरन अभिभावक अपने बच्चे को बाल विवाह करा रहे हैं ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम घाट कुसमनी एवं आस-पास के छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एवं बाल विवाह रोकने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए घाट कुसमनी मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2015-16 में करने पर विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2015-16 में मध्य विद्यालय, घाट कुसमनी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त हुआ है, जिसे भारत सरकार को भेजा गया है, परन्तु भारत सरकार से अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। सरकार इसे उत्क्रमित करने हेतु कृत संकल्पित है।

(हस्ताक्षर) 23/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-123/2015......2736....../ दिनांक....23-08-2015...../

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/08

सरकार के उप सचिव।

58

श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–34 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में हाथियों द्वारा फसल का नुकसान एवं जानमाल की क्षति की गई है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अब तक फसल क्षतिपूर्ति एवं जानमाल क्षति का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वास्तविकता यह है कि झारखण्ड निर्माण के उपरान्त माह जुलाई, 2015 तक हाथियों द्वारा जानमाल एवं फसल इत्यादि की क्षति के मुआवजा के रूप में कुल 2840.12 लाख रू0 राशि का भुगतान किया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मुआवजा भुगतान हेतु अद्यतन याचित राशि 268.11 लाख रू0 के विरूद्ध 355.11 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे कि आकस्मिक स्थिति में मुआवजा भुगतान हेतु राशि की कमी नहीं हो।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे राज्य का सर्वे कराकर फसल क्षतिपूर्ति एवं जानमाल की क्षतिपूर्ति का मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न –56/2015– 4571 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2335 दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(59)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न
संख्या-अ0सू0-21

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है गढ़वा जिला के अधिकांश विद्यालयों में क्रय समिति कारगर नहीं होने से कई बिचौलिया मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध पोषाक सप्लाई कर रहे है;	जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पोशाक का क्रय संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है जिले में कई बार घटिया पोषाक आपूर्ति की चर्चा जिला प्रशासन तक, कई माध्यमों से पहुँचता रहा पर विभाग की उदासीन रवैये के वजह से सिर्फ कमिटी बनाकर जाँच करने की बात की गई एवं मामले को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया;	उपायुक्त, गढ़वा से इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा उनके प्रतिवेदन के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषियों पर समुचित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर में सन्निहित है।

ह0/- 24/08
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-12/अ-4-04/15-1994 राँची, दिनांक-24.08.2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2193, दिनांक 18.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24/08
सरकार के उप सचिव।

(60)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 25.08.2015 को श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न		उत्तर	
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जैसे औद्योगिक क्षेत्र और इसके समीपवर्ती जिलों यथा धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ में एक भी विश्वविद्यालय नही है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए रॉची तथा दूसरे राज्यों मे जाना पड़ता है ;	2.	अस्वीकारात्मक, ऐसा कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो में विश्वविद्यालय एवं तकनीकी कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो ?	3.1.	राज्य सरकार द्वारा बोकारो के पिछडी (बेरमो) मे तकनीकी कॉलेज खोलने का सैधांतिक निर्णय लिया गया है।
		2.	विश्वविद्यालय खोलने पर सरकार का वर्तमान मे निर्णय नही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– वि0प्रा0/वि0स0–39/15 – 2101 / राँची, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2199 दिनांक 18.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/08/2015

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(61)

श्री कुणाल षाड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–41

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशीला अनुमंडल में कॉपर के खादान से कॉपर के अयस्क के साथ सोना का भी अयस्क का खनन कार्य होता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त खदान द्वारा सिर्फ कॉपर अयस्क पर सरकार को रायल्टी दिया जाता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि खदान द्वारा सोने के अयस्क की सूचना सरकार को देनी है एवं उसपर उन सोना पर भी सरकार को रॉयल्टी देना है लेकिन सोना के अयस्क पर सरकार को रॉयल्टी नहीं दी जा रही है;	कॉपर के उत्खनन के क्रम में कॉपर अयस्क के साथ गोल्ड का अंश नगण्य मात्रा में पाया जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होने के फलस्वरूप नही किया जाता है।
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त खादान द्वारा सोने के अयस्क की रॉयल्टी सरकार को नही देने पर राज्य को राजस्व की भारी हानि हो रही है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त खदान के विरूद्ध कार्रवाई करत हुए सोना के अयस्क पर भी रॉयल्टी लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

24.8.15
(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–44 / 15 1252 /एम0, राँची दिनांक 24.8.15
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2333 वि0स0 दिनांक 20.08.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(62)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–38 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत वर्ष–2008–09 एवं 2010–11 में मनरेगा द्वारा प्रखण्ड गोमिया, कसमार पेटरवार चंदनकियारी, नावाडीह, चास बोकारो एवं बेरमो में वृक्षारोपण सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर एवं सड़क किनारे किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में एक भी पौधा नहीं है, जबकि कागज में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में पौधा लगाया दिखाया गया है;	आंशिक अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 218 हे0 एवं 35 कि0मी0 में कुल 3,37,436 पौधे तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 20 हे0 एवं 46.50 कि0मी0 में कुल 1,06,060 पौधे लगाये गये जिसमें से कुछ स्थलो पर वनरोपण सफल नहीं हो सका।
3. क्या यह बात सही है कि पौधा लगाया ही नहीं गया है, केवल राशि की निकासी की गई है;	अस्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो डी0एफ0ओ0 पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	असफल वृक्षारोपण के फलस्वरुप तत्कालीन दो वन क्षेत्र पदाधिकारियों, गोमिया एवं बोकारो वन प्रक्षेत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । एक वन क्षेत्र पदाधिकारी (गोमिया वन प्रक्षेत्र) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त चार वनपाल, चार वनरक्षी पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । तीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–वि0स0अ0सू0 प्रश्न–57/2015–4580 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2336 दिनांक–21.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

63

श्री अमित कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-25

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के सोनाहातु प्रखण्ड के सोनाहातु में राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय है परन्तु स्कूल भवन काफी जर्जर स्थिति में है, साथ ही चाहरदीवार रहित एवं बिना शौचालय तथा साईकिल स्टैण्ड के है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन विद्यालय दो खण्डों का है। प्रथम खण्ड जर्जर है तथा दूसरा खण्ड, जिसमें 3 कक्ष हैं, जिसमें कक्षायें संचालित की जाती हैं। विद्यालय में चाहरदीवारी 3 भागों में है तथा साईकिल स्टैंड की सुविधा नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जर्जर भवन की मरम्मति, चाहरदीवार, शौचालय तथा साईकिल स्टैण्ड के निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 3 वर्ग कक्ष का निर्माण अंतिम चरण में है तथा फिनिशिंग की स्थिति में है। विद्यालय में शौचालय निर्माण विद्यालय के विकास कोष से करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय प्रधान को निदेशित किया जा चुका है। विद्यालय के विकास कोष से ही साईकिल स्टैंड की व्यवस्था हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।

22/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-128/2015 2738 / दिनांक 23-08-2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08

सरकार के उप सचिव।

(64)

श्री बादल, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-18

क्या माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 (प्लस टू) स्कूल में 920 विज्ञान शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 363 विज्ञान शिक्षक कार्यरत है। जबकि 557 पदों पर विज्ञान के शिक्षक नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार (कब तक) विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण करा लेने का विचार रखती है ; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	+2 विद्यालय में रिक्त पदों (विज्ञान के पद सहित) पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को भेजी गयी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने कतिपय आपत्तियों के साथ अधियाचना को वापस किया है, जिसे भेजे जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसे शीघ्र पूरा कराने हेतु सरकार प्रयासरत् है।

23/8/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-112/2015....2739..../ दिनांक....23....अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/15

सरकार के उप सचिव।

(65)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री फूलचन्द मण्डल, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न चरणों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् भी राज्य के द्वितीय भाषा बंगला हेतु पदों की पुष्टि नहीं की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में हिन्दी/उर्दू भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा के पद स्वीकृत नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 अन्तर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा विषय अन्तर्गत एक पत्र जनजातीय/स्थानीय भाषा का है, जिसमें बंगला भाषा भी शामिल है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न बंगला भाषी जिला यथा, धनबाद, दुमका, पाकुड़, बोकारो, राँची, सिल्ली, सरायकेला, जमशेदपुर, साहेबगंज एवं जामताड़ा के कई बंगला प्राथमिक विद्यालयों में बंगला विषय हेतु शिक्षक पद स्वीकृत है, परन्तु जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि नहीं की गई है;	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 के उत्तर में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में बंगला भाषी मुलवासी अभ्यार्थियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 के उत्तर में सन्निहित है।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/अ.सू.-1.0../15 - 1992 राँची, दिनांक-24.08.2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2196, दिनांक 18.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(66)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 25.08.2015 को श्री दुलू महतो, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0–47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा प्रखण्ड, धनबाद जिला मुख्यालय से काफी दूर है और क्षेत्र में एक भी तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में पॉलिटेकनिक अथवा आई0टी0आई0 आदि तकनीकी संस्थान नहीं होने से क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;	2. क.	अस्वीकारात्मक।
		ख.	आई0टी0आई0 विभाग से संबंधित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि आई0टी0आई0 या पॉलिटेकनिक जिला मुख्यालय में होने के कारण अधिकांश छात्र–छात्रा तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रहे है;	3.	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय के आस–पास आई0टी0आई0 पॉलिटेकनिक अथवा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	धनबाद जिलान्तर्गत राजकीय क्षेत्र में तीन पोलिटेकनिक स्थापित है तथा कार्यरत है एवं एक निजी क्षेत्र में पोलिटेकनिक कार्यरत है। उस तरह कुल चार पोलिटेकनिक धनबाद जिला में स्थापित है। अतः और पोलिटेकनिक संस्थान के स्थापना का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.त0शि0/वि0स0–43/15 – 2098 / राँची, दिनांक– 24.08.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2375 दिनांक 21.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(67)

श्री शिव शंकर उराँव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ0सू0-50
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सभी सरकारी इकाईयों में कार्यरत कर्मियों को राजपत्रित अथवा अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारी के रूप में माना जाता है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ऐसे राजकीय एवं राजकीयकृत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों (प्लस-2 सहित) के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को भी उक्त श्रेणियों में गिना जाता है। जिन्हें तिथि-01.01.2006 से छठे पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/ग्रेड पे के अनुरूप प्रत्येक 10, 20 और 30 वर्षों पर प्रोन्नति एवं अन्य लाभ प्रदान करना है। साथ ही छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में उत्क्रमित वेतनमान/ग्रेड पे के पदों पर 01.01.2006 के पूर्व पदस्थापित कर्मियों का वेतन निर्धारण हेतु भी वित्त विभाग का संकल्प- स0स0 6/एस0-16 (फि0क0)-01/2009-2891/12 दिनांक 13.08.14 द्वारा फिटमेंट टेबल को स्वीकृत किया गया था और झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव का आदेश जारी हो चुका है ;	शिक्षकों को केन्द्रीय वेतनमान् के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर वेतनमान् दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा सभी कोटि यथा +2 विद्यालय के शिक्षक, उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक को निम्न प्रकार का वेतनमान् देने का प्रावधान किया गया है :- 1. मूल कोटि का वेतनमान् 2. वरीय वेतनमान् 3. प्रवरण वेतनमान् इन्हीं उक्त वेतनमानों में ही पुनरीक्षित वेतनमान् को ग्रेड पे भी निर्धारित किये गये हैं तथा गठित नियमावली की शर्त्तों के अनुरूप शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाती है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुनरीक्षित छठवें वेतनमान के अनुरूप उपर्युक्त कालबद्ध प्रोन्नति एवं ए0सी0पी0 का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्रीय वेतनमान् का अनुसरण करते हुए शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान् में प्रोन्नत पद का वेतन का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। सभी कोटि के प्रशिक्षित शिक्षकों को ए0सी0पी0 अथवा कालबद्ध प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

22/08
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-122/2015 2731 दिनांक 23-08 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08
सरकार के उप सचिव।

(68)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–48 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता, राँची के द्वारा राँची जिला के खेलारी अंचल अंतर्गत बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु मौजा–कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट नं0–102, रकबा – 0.40 एकड़ गैरमजरूआ भूमि अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक–2949G दिनांक–28.11.2013 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक–क्रमशः 2948W, 2950D & 2949G दिनांक–28.11.2013 के द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अपर समाहर्त्ता के पत्रांक–2948 W/रा0 से पावर सब स्टेशन निर्माण, पत्रांक–2950/रा0 से पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु एवं पत्रांक–2949 G/रा0 से बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध प्राप्त है, जो कि विहित प्रपत्र में नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रयोक्ता अभिकरण से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–61/2015– 4575 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2382 दिनांक–21.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य)-विभाग, झारखंड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(69)

श्री रामकुमार पाहन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा एवं ओरमांझी प्रखण्ड में स्थित भुसूर घटल पतरा पर्यटक क्षेत्र में अभी तक वृद्धों, बच्चों एवं व्यस्कों के लिए ठहरने के लिए गेस्ट हाउस एवं सेमी कवर्ड हॉल, कियोस्क, चिल्ड्रेन–पार्क चिल्ड्रेन प्लेयिंग इक्विपमेंट, सोलर–लाईटिंग, जेटी–डेवलपमेंट, ट्यूबवेल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डॉयरेक्शन एवं प्लेस आइडिटिफिकेशन, साईन्स, सॉकपिट तथा डैम में वोटिंग का व्यवस्था अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;	1.	वस्तुस्थिति यह है कि – i. केन्द्रीय योजनान्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा कार्यान्वित होने वाले राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा एवं ओरमांझी प्रखण्ड में स्थित भुसूर घटल पतरा में गेतलसूद डैम के पर्यटकीय विकास जिसमें सेमी कवर्ड हॉल, कियोस्क, चिल्ड्रेन–पार्क, चिल्ड्रेन प्लेयिंग इक्विपमेंट, सोलर–लाईटिंग, जेटी–डेवलपमेंट, ट्यूबवेल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डॉयरेक्शन एंड प्लेस आइडिटिफिकेशन साईन्स, सॉकपिट आदि का प्रावधान है, की स्वीकृति दी गई है। ii. वर्तमान में प्रश्नाधीन स्थल पर रिटेनिंग वॉल का कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने पर उपरोक्त अन्य कार्य किया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पर्यटक स्थल में व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को परेशानी होती है ; यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थल को विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	यथा उपर्युक्त कंडिका 1 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/52/2015 1471 /राँची, दिनांक 24/08/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2030/वि०स०, दिनांक–13/08/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

(70)

श्री ताला मराण्डी, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-39

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान सभा क्षेत्र के गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखण्ड अन्तर्गत मौजा बड़ा ईटहरी में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है,	उत्तर स्वीकारात्मक है। इस हेतु जिला परिषद्, गोड्डा को रुपया 41.14 की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। जिसके विरुद्ध उनके द्वारा रुपया 32.61 लाख व्यय किया गया है। फिनिशिंग कार्य अभी भी बाकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि कार्य 2 वर्षों से बंद है।
2	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माणाधीन रहने के कारण विद्यालय की छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मध्य विद्यालय हेतु निर्मित कक्षाओं में ही उच्च विद्यालय (वर्ग-9 एवं वर्ग-10) की कक्षाओं का भी संचालन किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि निर्माणाधीन भवन होने के कारण भवन धीरे-धीरे खराब एवं कमजोर हो रहा है,	जैसा कि खंड-1 में उल्लेखित किया गया है, फिनिशिंग कार्य 2 वर्षों से बंद है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब निर्माण कार्य छात्रहित में पूरा करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 2723 दिनांक 22.08.2015 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर से इसकी सम्यक जांच कराकर जिला परिषद् के माध्यम से कार्य को पूरा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 22/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-125/2015 2735 / दिनांक 23-08-2015 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/08

सरकार के उप सचिव।

(71)

पत्रांक–सू०प्रौ० / विधानसभा [illegible]–108 / 2015– 1693 /

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

प्रेषक,

उमेश प्रसाद साह
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,
झारखण्ड, राँची

राँची, दिनांक– 25वीं अगस्त, 2015

विषय : श्री कुणाल षाडंगी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न–42 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग : आपका ज्ञाप संख्या– 2329 / वि0स0, राँची, दिनांक 20.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री कुणाल षाडंगी, स0वि0स0 द्वारा चालू अधिवेशन में तिथि 25.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न–42 का उत्तर प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क0	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु केन्द्रों पर ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था है ।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन व्यवस्था रहने के कारण आवेदकों को उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने में महीनों का समय लग रहा है एवं समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है ।	साधारणतया एक सप्ताह के अन्दर सभी प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है । कभी–कभी इंटरनेट की सेवा अवरूद्ध रहने पर क्षणिक विलम्ब हो जाता है ।
3	उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है	सरकार आवेदकों को सही समय पर प्रमाण

Umesh

	तो क्या सरकार उक्त प्रमाण पत्रों के आवेदक को समय पर उपलब्ध हो इसके लिए व्यवस्था करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	पत्र उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है । इसके लिए इंटरनेट में आनेवाली क्षणिक अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :– 1. इस संदर्भ में लगभग 1200 प्रज्ञा केन्द्रों, जहाँ इंटरनेट कनेक्टीविटी की सुविधा विश्वसनीय (reliable) नहीं है, की कनेक्टीविटी को सुदृढ़ करने के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर लिया गया है एवं Letter of Intent दे दी गई है । अगले एक साल में सभी प्रज्ञा केन्द्रों पर इंटरनेट की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है । 2. केन्द्र सरकार द्वारा National Optical Fiber Network (NOFN)/ Bharatnet के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर केबल से जोड़ने की योजना पर भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (BBNL) एवं राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है ।

अनुलग्नक– यथोक्त

विश्वासभाजन

Umesh.

(उमेश प्रसाद साह)
निदेशक

(72)

श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०-10
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च विद्यालय एवं अनुदानित इंटर महाविद्यालय में स्थानीय विधायक, विद्यालय कमिटी के अध्यक्ष होते हैं ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा-7.6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था या धर्म एवं भाषा पर आधारित संचालित संस्था के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त इंटरमीडियेट (+2), माध्यमिक, मध्यमा (संस्कृत) तथा मदरसा संस्था के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिये एक शासी निकाय/प्रबंध समिति गठित होगी। इसी प्रावधान के तहत् सदस्य के रूप में परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विधान मंडल के एक सदस्य, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में संस्था अवस्थित है, को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में रखने का प्रावधान है। सदस्यों द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों में जैक द्वारा स्थानीय विधायक को मदरसा कमिटी का एक साधारण सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है, जिसके कारण जैक के मिलीभगत से लगभग सभी मदरसों में चंद लोगों का कब्जा है, जो शिक्षक बहाली तथा व्यवस्था के नाम पर लूट मचाये हुए है ;	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार स्थानीय विधायक को राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसा में मदरसा कमिटी का अध्यक्ष मनोनीत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर) 23/08/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.।वि.(i)-108/2015......2743...... / दिनांक....23...... अगस्त, 2015
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/08/15
सरकार के उप सचिव।

(73)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–45 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता, रांची के द्वारा रांची जिला के खेलारी अंचल अंतर्गत पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु मौजा–कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट नं0–102, रकबा–0.15 एकड़ गैरमजरूआ भूमि अपर समाहर्त्ता, रांची के पत्रांक–295D दिनांक–28.11.2013 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची को भेजा जा चुका है;	अस्वीकारात्मक । अपर समाहर्त्ता के पत्रांक–2950/रा0 से पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध प्राप्त है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पशु चिकित्सालय निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपर समाहर्त्ता, रांची के पत्रांक-क्रमशः 2948W, 2950 & 2949G दिनांक–28.11.2013 के द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अपर समाहर्त्ता के पत्रांक–2948 W/रा0 से पावर सब स्टेशन निर्माण, पत्रांक–2950/रा0 से पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु एवं पत्रांक–2949 G/रा0 से बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास भवन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध प्राप्त है, जो कि विहित प्रपत्र में नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में पशु चिकित्सालय निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रयोक्ता अभिकरण से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अथवा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–58/2015– 4576 व0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2384 दिनांक–21.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

74

श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ0सू0-09
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा शमसिया गोरगामा जिस जमीन पर अवस्थित है वह जमीन स्व0 सुदर पासवान नाम से दर्ज है, एवं उसका एक मात्र जीवित नाती श्री धरमदास पासवान उस जमीन का वारीस है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा का वास्तविक दानदाता द्वारा मनोनित मु0 अब्दुल अजीज को या दान दाता मदरसा कमिटी में दानदाता सदस्य नहीं बनाया गया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि जिस जमीन पर मदरसा अवस्थित है, उस जमीन का मूल्यांकन लाखों रुपये में है, इसके बावजूद भी जैक के गलत निर्णय से मात्र पचीस से तीस हजार रुपये दान देने वाले व्यक्ति को मदरसा में कब्जा जमाने के उद्देश्य से मदरसा कमिटी का सदस्य बना दिया गया है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा-7.6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था या धर्म एवं भाषा पर आधारित संचालित संस्था के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त इंटरमीडियेट (+2), माध्यमिक, मध्यमा (संस्कृत) तथा मदरसा संस्था के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिये एक शासी निकाय/प्रबंध समिति गठित होगी। इसी प्रावधान के तहत् सदस्य के रूप में संस्था को 25 हजार का दान देने वाले दाताओं द्वारा निर्वाचित एक दाता को सदस्य के रूप में रखने का प्रावधान है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जैक द्वारा मदरसा कमिटी में कब्जा दिलाने के उद्देश्य से पचीस-तीस हजार रुपये दान लेकर दानदाता सदस्य बनाने के नियम को बदलकर भ्रष्टाचार पर विराम लगाने हेतु जमीन दानदाता को सदस्य मनोनित करने का नियम लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खंड-3 के उत्तर से स्पष्ट है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधान के तहत् दानदाता सदस्य का मनोनयन किया जाता है। जहां तक भ्रष्टाचार का संदर्भ है, अगर इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त होती है, तो विभाग द्वारा समुचित कारवाई की जायेगी।

22/08/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-107/2015 2742 / दिनांक 23 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/08/15
सरकार के उप सचिव।

(75)

श्री अरूप चटर्जी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–28

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हटकर धनबाद, बोकारो व गिरिडीह जिलाओं में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों की संख्याओं के आधार पर धनबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापना का मॉग बराबर उठता है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों जिलाओं में सभी प्रकार के कुल 57 शैक्षणिक संस्थान अवस्थित है।	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत तीनों जिलों में उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में 13 अंगीभूत महाविद्यालय, 24 सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय के अतिरिक्त 18 बी0एड0 महाविद्यालय, 03 अभियंत्रण महाविद्यालय, 02 विधि महाविद्यालय एवं 01 चिकित्सा महाविद्यालय है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब धनबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापना की मंशा रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में प्रमण्डल स्तर पर एक–एक विश्वविद्यालय स्थापित है। रा ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत इन जिलों के लिए धनबाद में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2–93/2015–1660/ रांची दिनांक– 24.8.2015/

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2346 दिनांक–21.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-8-2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(76)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–02 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के चतरा गांव में तुल्सीयान राईस मिल स्थित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची जिला अन्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड में चतरा गाँव में तुल्सीयान राईस मिल अवस्थित नहीं है, बल्कि यह राईस मिल औद्योगिक क्षेत्र टाटीसिलवे, फेज–II में अवस्थित है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त राईस मिल द्वारा उक्त गांव के 25 एकड़ उपजाऊ जमीन एवं तालाब पर अपना अनवरत कचड़ा एवं दूषित पानी बहाया जाता है;	अस्वीकारात्मक। उक्त राईस मिल से बहिस्त्राव नही होता है। मिल से निकलने वाले बहिस्त्राव का उपचारोपरान्त मिल मे ही उपयोग किया जाता है। उक्त राईस मिल द्वारा उक्त गाँव के उपजाऊ जमीन एवं तालाब मे कचड़ा एवं दूषित पानी नही बहाया जाता है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राईस मिल पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रश्न ही नही उठता।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न –49/2015–4589 व0प0, राँची, दिनांक–24.08.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2034 दिनांक–13.08.2015 के प्रसंग मे अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(77)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-16

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या झारखण्ड में कार्यरत 85 हजार पारा शिक्षक आर्थिक तंगी से अपना गुजर-बसर करने को मजबूर है;	राज्य में कुल 78554 पारा शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड, नई दिल्ली से मानदेय की स्वीकृति प्राप्त है ।
2.	क्या सरकार इनके उज्वल भविष्य के लिए इन्हें एक सम्मानजनक मानदेय 25000/-(पच्चीस हजार) रुपये देने की इच्छा रखती है;	पारा शिक्षकों का मानदेय सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत निर्धारित किया जाता है ।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन आकांक्षाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में मजबूर पारा शिक्षकों की मानदेय को 25000/- रुपये करने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ोत्तरी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करने की कार्रवाई जा रही है ।

(हस्ताक्षर) 24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/अ०सू०-15/15- 1991 राँची, दिनांक-24.08.2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2195, दिनांक 18.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/08

सरकार के उप सचिव।

(78)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में पत्थरों के खनन् हेतु खनन् स्थल की वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी होना आवश्यक है;	अस्वीकारात्मक। खनन पट्टा के लिए वन सीमा से न्यूनतम दूरी 400 मीटर निर्धारित है ।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अन्य समीपवर्ती राज्यों में यह दूरी 500 मीटर से कम है;	अन्य समीपवर्ती राज्यों में एन0ओ0सी0 गाईड लाईन में निर्धारित दूरी की अद्यतन सूचना की जानकारी प्राप्त नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है 500 मीटर की दूरी की वजह से कई क्षेत्रों में पत्थरों का खनन कार्य प्रभावित हो रहा है और खनन कार्य में लगे मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है;	इस संबंध में विभाग में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समीपवर्ती राज्यों की तरह झारखण्ड में भी इस 500 मीटर की दूरी की बाध्यता को कम कर पत्थरों के खनन कार्य को बढ़ावा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	समीपवर्ती राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–59/2015– 4573 रा0प0, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2211 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(79)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री विदेश सिंह, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत तरहसी प्रखण्ड में अभी तक कस्तूरबा विद्यालय का भवन नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रश्नाधीन प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्वीकृत नहीं है। राज्य के 57 प्रखण्डों में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है जिसमें पलामू जिला का तरहसी प्रखण्ड भी शामिल है।
2.	क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में छात्राओं के पठन-पाठन में असुविधा उत्पन्न होती है;	भवन निर्णय होने तक झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय, तरहसी के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का निदेश जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू को दिया गया है। वर्ग 6 की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तरहसी कस्तूरबा विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	57 विद्यालयों भवन का निमार्ण चरणबद्ध रूप में कराया जायेगा।

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 13/अ.4-17/15 1992 / राँची, दिनांक 24.08. 2015

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2340, दिनांक 20.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(80)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 ...

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–44

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

मंत्री

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों जैसे–हजारीबाग, गिरिडीह, राँची, देवघर, जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद इत्यादि में बालू घाटों की नीलामी कर दी गई है;</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित जिलों में बालू घाटों की नीलामी होने के बावजूद अबतक किसी को उक्त घाटों का आवंटन नही की गई है फिर भी लोग विभागीय पदाधिकारियों के संरक्षण में मनमानी दर पर बिना चालान के बालू बेच रहे हैं जिससे राजस्व की क्षति हो रही है;</td><td>हजारीबाग, गिरिडीह, राँची, देवघर, जमशेदपुर, बोकारो तथा धनबाद के बालू घाटों के संबंध में विवरणी निम्नवत है–
<table>
<tr><th>जिला का नाम</th><th>कुल बालू घाटों की सं0</th><th>कुल नीलाम किए गए बालू घाटों की संख्या</th><th>SEIAA में दाखिल आवेदन पत्रों की सं0</th><th>पर्यावरणीय स्वीकृति (दिनांक 24.08.15 तक) की स्थिति</th></tr>
<tr><td>हजारीबाग</td><td>43</td><td>43</td><td>04</td><td>01</td></tr>
<tr><td>गिरिडीह</td><td>31</td><td>29</td><td>06</td><td>03</td></tr>
<tr><td>राँची</td><td>32</td><td>22</td><td>16</td><td>02</td></tr>
<tr><td>देवघर</td><td>25</td><td>25</td><td>18</td><td>06</td></tr>
<tr><td>जमशेदपुर</td><td>40</td><td>32</td><td>20</td><td>09</td></tr>
<tr><td>बोकारो</td><td>40</td><td>36</td><td>35</td><td>08</td></tr>
<tr><td>धनबाद</td><td>14</td><td>14</td><td>09</td><td>08</td></tr>
</table>
बालू के अवैध खनन/परिवहन की जाँच जिला स्तारीय टास्क फोर्स द्वारा सघन रूप से की जाती है। संबंधित जिलों में टास्क फोर्स द्वारा अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए कई वाहनों को जब्त किया गया है तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजस्व हित में खण्ड–01 में वर्णित जिलों में बालू घाटों को आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?</td><td>प्रश्न खण्ड–01 में वर्णित जिलों में नीलाम बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही उन्हें बालू घाट आवंटित करना संभव हो सकेगा।</td></tr>
</table>

A.M. 24.8.15

(आनंद मोहन ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–47/15 1262/एम0, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 250 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2385 वि0स0 दिनांक 21.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A.M. 24.8.15

... के संयुक्त सचिव

82

श्री दीपक बिरूआ, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–55

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

मंत्री:–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नोवामुण्डी प्रखण्ड के दिरिबुरू पंचायत के परमावलजोड़ी एवं उटारबुरू जंगल में दस हजार मैट्रिक टन लौह अयस्क का भंडारण अवैध तरीके से संरक्षित किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आई0टी0 तकनीक का उपयोग कर इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को ई–मेल के माध्यम से समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है;	प्रेषित पत्र इस विभाग को प्राप्त नही है।
3.	क्या यह बात सही है कि दो माह बीतने के बावजूद भी अबतक किसी प्रकार का कार्रवाई नही किया गया है;	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत लौह अयस्क के अवैध खनन/भंडारण/परिवहन आदि के नियमित जाँच के दौरान वर्ष 2014 में 15 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिसमें 28 व्यक्ति आरोपित किए गए हैं। 09 वाहन एवं 1245.65 एम0टी0 लौह अयस्क जब्त किए गए हैं। वर्ष 2015 में 03 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिसमें 18 व्यक्ति आरोपित किए गए हैं एवं 375.00 एम0टी0 लौह अयस्क जब्त किए गए हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध रूप से डंपिंग लौह अयस्क को जब्त करते हुए तथा अवैध लौह अयस्क के कारोबार में संलिप्त माफियाओं/ पदाधिकारियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों के आलोक में कार्रवाई आवश्यक नही है।

24.8.15

(आनंद मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक –वि0स0(अ0सू0)–43/15 1264/एम0, राँची दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 250 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 2388 वि0स0 दिनांक 21.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15

(83)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-03

क्या माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चन्द्रपुरा प्रखण्ड अन्तर्गत हाईस्कूल तारानारी वर्ष 1985 से चल रहा है, जिसमें छात्र-छात्राओं की संख्या 850 है, तथा स्थापना की अनुमति प्राप्त है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि +2 उच्च विद्यालय तारानारी में नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाई होती है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उच्च विद्यालय, तारानारी से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त छात्र-छात्राओं को +2 विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुविधा उपलब्ध है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी स्थापना अनुमति प्राप्त अथवा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण करने की कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। झारखण्ड इंटरमीडियेट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 प्रख्यापित है। इस नियमावली के तहत् जो विद्यालय इंटरमीडियेट महाविद्यालय की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति की शर्त्त पूरा करते हैं, वे इस हेतु आवेदन देने के लिये स्वतंत्र हैं। इस परिपेक्ष्य में प्रश्नाधीन गैर सरकारी विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 23/08/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-106/2015 2744 / दिनांक 23-08-2015/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/08/15
सरकार के उप सचिव।

(84)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-15

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय पुरनिया (प्रखंड खूंटपानी) में कक्षाएं छात्रावास भवन में संचालित हो रही हैं ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। विद्यालय परिसर में उपलब्ध 3 छात्रावासों में से 1 छात्रावास के कुल 6 कमरों के कक्ष का उपयोग किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का अपना भवन खंडहर (Abandoned) में तब्दील हो गया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 600 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिए नये भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रश्नाधीन विद्यालय के भवन के सुदृढ़िकरण हेतु 33.15 लाख की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु निदेशित किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर) 22/08/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-111/2015...2740.../ दिनांक...23...अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/08/15

सरकार के उप सचिव।